

RVNL/SECY/STEX/AGM-21/2024

31.08.2024

<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Scrip: <b>RVNL</b>	<b>BSE Ltd.</b> Department of Corporate Service, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001. Scrip: <b>542649</b>
---	--

**Sub: Publication of Notice in Newspaper regarding 21<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with the MCA General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, a Public Notice regarding 21<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company, as published in Newspapers (English & Hindi) is attached herewith.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For Rail Vikas Nigam Limited**

(Kalpana Dubey)  
Company Secretary & Compliance Officer





उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा

# दिल्ली सरकार मार्च 2025 तक 20 हजार रिक्तियों को भरेगी

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को कहा कि मार्च, 2025 तक हमारा लक्ष्य विभिन्न विभागों में रिक्तियों के तहत करीब 20 हजार भर्तियां करना है। उन्होंने कहा कि हम हर विभाग के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और हमें दिल्ली को हमेशा संवार कर रखना है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास के लिए हमें दिल्ली सरकार में तैनात किए गए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे।

उपराज्यपाल ने दावा किया कि दो सालों में दिल्ली सरकार ने 17 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे हैं और शुक्रवार को इस प्रक्रिया के तहत 629 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक डेढ़ साल में यह पांचवां आयोजन था, जिस विभिन्न विभागों में तैनात किए गए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उपराज्यपाल ने कर्मचारियों से कहा कि कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल काम के प्रति जिम्मेदारी है, जो मायने

दो साल में 17 हजार से अधिक खाली पदों को भरा गया



उपराज्यपाल वीके सक्सेना शुक्रवार को नियुक्ति पत्र पाने वाले कर्मियों से मिलते हुए।

रखती है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि देश की सेवा और प्रगति में अहम योगदान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि वे स्थायी भर्तियां प्रधानमंत्री के 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। उन्होंने सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं कि वे खाली पड़े पदों को भरने के लिए तेजी से काम करें, ताकि आम जनता की सेवाओं को सुधारा जा सके। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के अध्यक्ष शूरवीर सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों में बोर्ड ने 177 विभिन्न पद के लिए

परीक्षा आयोजित की है। मार्च, 2024 की परीक्षाओं के भी परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस समय करीब 18 हजार रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। जिन विभागों में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, उनमें शिक्षा निदेशालय, विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली टूरिस्को लिमिटेड, दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत अन्य विभाग शामिल हैं।

## राजधानी में ड्रोन से होगा अवैध निर्माण का सर्वेक्षण

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

दिल्ली में अवैध निर्माण का सर्वेक्षण ड्रोन से किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इन तीनों एजेंसियों के पास दिल्ली में सबसे अधिक जमीन है।

दावा किया है कि इस सर्वेक्षण की मदद से जमीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर एजेंसियों के बीच होने वाली आपसी लड़ाई को खत्म किया जा सकेगा। इसके जरिए एजेंसियों अपनी जमीन का अतिक्रमण होने से बचा सकेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेशों के बाद सभी एजेंसियों ने यह सर्वेक्षण कराने के लिए बने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपराज्यपाल की अगुआई में हुई बैठकों में लगातार जमीन पर अतिक्रमण के मामले होने की जानकारी सामने आई है और

उपराज्यपाल इन मामलों की सीधे निगरानी कर रहे हैं। इस मामले में इसी महीने दो बैठकें हो चुकी हैं। इसके लेजर अदालतों में चल रहे मामलों में भी सामने आया है कि संबंधित एजेंसियों के पास जमीनी दस्तावेज के सभी प्रमाण नहीं होने की वजह से अतिक्रमण की परेशानी सामने आ रही है। अदालत ने भी कहा है कि इन मामलों में अत्याधुनिक तकनीक और नक्शों की मदद से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है।

## हाई कोर्ट का पीएफआई सदस्य को अंतरिम जमानत देने से इनकार

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) के नेता ओएम्प सलाम को इस प्रतिबंधित संगठन और इसके सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून (यूपीए) के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एम प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दो हफ्ते की रिहाई देने के अनुरोध वाली सलाम की याचिका खारिज कर दी और कहा कि अंतरिम जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। सलाम ने यह कहते हुए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी कि उसकी बेटी की अप्रैल में मौत हो गई थी और उसकी पत्नी अब 'अवसाद की अवस्था' में है। सलाम को 2022 में प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

## सुकेश चंद्रशेखर को चुनाव निशान मामले में मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

दिल्ली की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक के 'दो पत्नी' वाले चुनाव चिह्न से संबंधित रिश्तखोरी के एक मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को शुक्रवार को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर सुकेश को राहत दी। चंद्रशेखर पर अन्नाद्रमुक नेता टी टी वी दिनाकरन के लिए बिचौलिया के रूप में काम करने और वी के शशिकला के नेतृत्व वाले पार्टी के गुट के लिए 'दो पत्नियों' वाला चुनाव चिह्न हासिल करने की मंशा से निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को रिश्त देना का प्रयास करने का आरोप है। हालांकि, चंद्रशेखर अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों में जेल में रहेगा।

## भाजपा ने राष्ट्रपति से आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग की

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने और राजधानी में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता इस प्रतिनिधि मंडल की अगुआई की। इन विधायकों ने राष्ट्रपति को दिल्ली में चल रहे संवैधानिक संकट पर तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और दिल्ली की जनता से मिले जनादेश को पार्टी ने धोखा दिया है। हमने राष्ट्रपति से इस सरकार



भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा।

को बर्खास्त करने और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल विधायक मोहन सिंह बिष्ट, आम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह तंवर और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद शामिल थे।

## डूसू चुनाव के लिए सत्यपाल सिंह मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने संस्कृत विभाग के शिक्षक सत्यपाल सिंह को 2024-25 के छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है।

डीयू छात्र संघ (डूसू) की केंद्रीय परिषद के

अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में राज किशोर शर्मा और निर्वाचन अधिकारी के रूप में राजेश सिंह शामिल हैं। कुलपति योगेश सिंह ने 2024-25 के लिए उनके संबंधित संस्थानों में केंद्रीय परिषद के चुनाव के संचालन के लिए कालेज के प्राचार्यों और डूसू से संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों को भी चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है।

**रेल विकास निगम लिमिटेड**  
Rail Vikas Nigam Limited  
गुणवत्ता, गति एवं पर्यटन  
(A Government of India Enterprise)

**रेल विकास निगम लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, अग्रस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पूरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली - 110066  
सीआईएन: L74999DL2003GOI118633, ईमेल: investors@rvnl.org  
वेबसाइट: www.rvnl.org, फोन नंबर: 011-2638299, फैक्स: 011-26182957

### 21वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों को सूचना

- एलएड द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकाशकों के लेन-देन हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को 21वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि को (बीसी) /अन्य दृश्य-श्रव्य संचार (ओएवीएम) के माध्यम से **सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को 11:30 बजे पूर्व (भा.मा.स.)** पर आयोजित की जायेगी जिसे अलग से संकुलित किया जा रहा है। कोर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 के साथ प्रति 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीबी/एचआ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 के साथ प्रति 7 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनी की 21वीं एजीएम की तिथि को (बीसी) /अन्य दृश्य-श्रव्य संचार (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
- उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 सहित एजीएम की सूचना कंपनी के केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी भागीदार(री) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग में [www.rvnl.org](http://www.rvnl.org), स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) तथा एनएसडीएमएस लिमिटेड (ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता एजेंसी) की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) तथा कंपनी रजिस्ट्रार एच.शेयर अन्तर्गत एजेंट (आरटीए), मैसर्स अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट [www.alankit.com](http://www.alankit.com) पर भी उपलब्ध है।
- ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने की रीति**  
(क) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और भौतिक रूप में शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड, 206-208, अनाकरली कॉमप्लेक्स, अंधेयारन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर या मेल [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com) द्वारा पंजीकृत करें।  
(ख) शेयरधारक जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।  
(i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं तो कृपया ई-मेल [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com) द्वारा फॉलोयु नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) प्रदान करें।  
(ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-क्लाइंटआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी-क्लाइंटआईडी या 16 अंकों का लामार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com) पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना में बताई गई लॉगिन विधि देखें।  
(ग) वैकल्पिक रूप से शेयरधारक / सदस्य वे दस्तावेज [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग करने की रीति**  
(क) सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकाशकों पर अपना मतदान करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।  
(ख) डीमैट/रिहालाइड्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं उनके द्वारा रिमोट वोट से मतदान ('रिमोट ई-वोटिंग') की रीति एजीएम की सूचना में दी गयी है। ये विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.rvnl.org](http://www.rvnl.org) तथा एनएसडीएमएस लिमिटेड की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।  
(ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं।  
(घ) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल नहीं प्राप्त हुआ अथवा जिनके ई-मेल कंपनी /अलंकित एसाइन्मेंट्स / डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं है वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करके लॉगिन विवरण सृजित कर सकते हैं।
- लामार्थी प्राप्त करने के लिए अधिदेश दर्ज कराने का तरीका:**  
(क) लामार्थी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लामार्थी वारंट / डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों को पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।  
(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लामार्थी के भुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक विवरण सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उनसे ईसीएस मैकेट कॉमि भरणे और ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इस सूचना में निर्धारित प्रतिभागियों (डीपी) को जमा करने का अनुरोध किया जाता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले व्यक्ति का विवरण मैकेट कॉमि को अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड (अलंकित' या आरटीए') को भेज सकते हैं। शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुना चाहते हैं, वे अपने बैंक का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या अलंकित को ई-मेल कर सकते हैं ताकि वे लामार्थी वारंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें।
- सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट और विशेष रूप से ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कराने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान या एजीएम के दौरान मतदान की रीति और लामार्थी सभ्य की सूचना ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 30.08.2024

कृते रेल विकास निगम लिमिटेड  
ह./-  
(कल्याण दूबे)  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

**पंजाब नैशनल बैंक** **punjab national bank**  
.....भारत का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) .....the name you can BANK upon!

**अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परपत्र के साथ पठित विधेय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे उल्लिखित अचल सम्पत्तियों को प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा (नीचे उल्लिखित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(री) और गारंटर्स(री), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

**प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची**

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार / गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सर्फासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सर्फासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईएमडी	नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत ऑफिसर / नोडल अधिकारी का नाम एवं पता	सुरक्षित लेनदार को ज्ञात एन्क्रेन्स का विवरण
1	पीएनबी अंचल शाखा दिल्ली मैसर्स ईएमएस एंड एक्सपोर्ट्स (पोर्टनरशिप फर्म) प्रा. लि. / कॉन्वेंट कार्यालय सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015 मैसर्स इंप्रूव्ड एंड एक्सपोर्ट्स (पोर्टनरशिप फर्म) प्रा. लि. / केंद्र: सी-17 व 18, इंडस्ट्रियल इस्टेट कारोबार, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड - 244713, श्री अमरजीत सिंह कालरा (पोर्टनर) पुत्र श्री सुरेश सिंह कालरा, सी-130 मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 श्रीमती जगजीत कौर कालरा (पोर्टनर) पत्नी श्री सुरेश सिंह कालरा, सी-130 मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 श्रीमती सुरेश कौर कालरा (पोर्टनर) पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा, सी-130 मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015	A) 25.06.2019 B) रु. 48.15 करोड़ + दिनांक 25.06.2019 से तबतिका का ब्याज, एवं अन्य प्रभार इत्यादि C) 17.11.2022 D) भौतिक कब्जा	औद्योगिक सम्पत्ति नं. सी-17 और सी-18, औद्योगिक इस्टेट, कारोबार, उत्तराखंड में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स इंप्रूव्ड एंड एक्सपोर्ट्स के नाम पर है। क्षेत्रफल 1337.76 वर्ग मी.	A) रु. 64.00 लाख B) रु. 6.40 लाख C) रु. 25,000.00	19-09-2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्थात् 04.00 बजे	संजीव श्रीवास्तव मोबाइल नं. 8130456352	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें: बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम 2002 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री 'ई-नीलामी' पोर्टल <https://www.ebrkay.in> के माध्यम से ऑनलाइन होगी। 2. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://ebrkay.in>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स पीएसबी एलएसएस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, बडला टाक टर्मिनल के पास, बडला इस्ट मुंबई-400037 (दिल्ली) है। 3. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (<https://ebrkay.in>) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/ खरीदारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://ebrkay.in> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। 4. बिक्री की सामान्य शर्तें और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/ वेब पेज पोर्टल (<https://ebrkay.in>) ([www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in)) पर उपलब्ध / प्रकाशित है। 5. सकल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिकूल का भुगतान आकर्षक अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सकल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जायेगा। 6. सम्पत्तियों को 'जहाँ है, जैसा है' और 'जो है जैसी है' तथा 'जो भी है जैसी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 7. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 8. सरकारी अधिनियम की धारा 13(6) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ उक्त मामलों में जारी किया गया है (6) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया <https://ebrkay.in> व [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) देखें।

सर्फासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक: 30-08-2024, स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक